



# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in), Email [acad.2uor@gmail.com](mailto:acad.2uor@gmail.com)

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2024/2468

दिनांक 03/02/2024

प्राचार्य,  
वैदिक बालिका पी.जी. महाविद्यालय,  
वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर।  
Email: [info@vaidikcollegemansarovar.in](mailto:info@vaidikcollegemansarovar.in)

विषय:- महाविद्यालय में चयनित व्याख्याताओं के अनुमोदन करने बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक V.B.P.G.C/2023 दिनांक 26.05.2023 के संदर्भ में।


महोदय,

राजस्थान विश्वविद्यालय की हैण्ड बुक पार्ट-II वोल्यूम-I स्टेट्यूट 26(5) बी के द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा एवं अध्यादेश 65 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने पर आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित चयनित व्याख्याताओं का अनुमोदन किया जाता है:-

क्र.स.	व्याख्याता का नाम/ D.O.B	शैक्षणिक योग्यता		
<b>Science</b>				
<b>Chemistry</b>				
1.	Pooja Agrawal D.O.B.-17.02.1980	B.Sc. M.Sc NET	2002 2004 2018	75.70% 70.23% Edu.
<b>Botany</b>				
2.	Dr.Kavita Sharma D.O.B.-25.03.1981	B.Sc.(PCB) M.Sc(Environmental Sci.) Ph.D	2002 2004 2010	63.18% 63.25%
<b>Zoology</b>				
3.	Dr.Jyoti Arya D.O.B.-01.01.1976	B.Sc. M.Sc ( Zoology) Ph.D	1996 1998 2004	68.29% 63.50% Zoology
<b>Art</b>				
<b>Geography</b>				
4.	Dr.Rameshwar Dayal Sharma D.O.B.-07.07.1971	B.sc M.A./M.Sc .(Geog.) Ph.D	1991 1993 2001	51.22% 60.60%
<b>Sociology</b>				
5.	Ms.Pragati Pal Meena D.O.B.-03.01.1985	B.A. M.A.( Sociology) NET M.Phil	2006 2009 2009 2011	56.83% 57% 59%
<b>Pub.Administration</b>				
6.	Suman Raghav D.O.B.-04.09.1978	B.A. M.A (Pub. Admn.) NET	2000 2002 2006	48.22% 57.22%
<b>History</b>				
7.	Dr.Neelam D.O.B.-17.07.1984	B.A. M.A. (History) Ph.D M.A.(History)	2005 2014 2018 2021	58.05% 48.00% 63.11%
<b>Pol. Science</b>				
8.	Manisha Saxena D.O.B. 25.08.1978	B.A. M.A. (Pol. Sc.)	1997 1999	60.88% 65.44%

अतः निर्देशानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि अनुमोदित व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान व विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करे। यदि महाविद्यालय/समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर व चयनित व्याख्याताओं को यू.जी.सी द्वारा निर्धारित वेतनमान प्रदान नहीं करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। साथ ही महाविद्यालय की वेबसाइट पर व्याख्याताओं की फोटो मय दस्तावेज 07 दिवस के भीतर अपलोड करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
कुलसचिव